2024/142

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 1/2025

सुरज माता शोभाबाई पिता भैरूलाल जाति धाकड उम्र 19 वर्ष निवारी चंदाखेडी तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ राजस्थान ---- अपीलान्ट

बनाम

1– श्री रवि माता शोभाबाई पिता भैरूलाल जाति धाकड निवासी चंदाखेडी तह. बेगूं

2– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूं

----- रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांकः–

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 1004 ग्राम चंदाखेडी ग्राम पंचायत शादी तहसील बेगूं द्वारा निर्णित, निर्णय दिनांक 05/9/2022

ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी तहसील बेगूं के नामान्तरण संख्या 1004 निर्णय दिनांक 05.09.2022 पर ग्राम पंचायत शादी द्वारा मृतक खातेदार शोभाबाई पत्नी भैरूलाल धाकड निवासी चंदाखेडी की विरासत के आधार पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधार बिन्दुओ पर प्रस्तुत है :–

यह कि ग्राम चंदाखेडी के मृतक खातेदार श्रीमती शोभाबाई पत्नी भैरूलाल धाकड निवासी चंदाखेडी जो अपिलान्ट एवं रेस्पोण्डेन्टस संख्या 1 की माता थी कि मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरण संख्या 1004 हल्का पटवारी ने विरासत के आधार पर बिना किसी पूर्ण जॉच पडताल के प्रस्तावित किया । शोभाबाई के वारिसान अपीलांट सुरज एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 रवि दोनो पुत्र थे, अपीलांट नाबालिग होने से रेस्पोडेन्ट सं0 1 रवि ने आवेदन किया जिसमें अपीलांट सुरज एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 रवि का नाम ही लिखा। हल्का पटवारी ने सुरज अपीलान्ट का नाम पूरण के नाम पर प्रस्तावित कर दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक एवं सभी दस्तावेजो में नाम पूरण न होकर सुरज है । भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी इस पर विधिक टिप्पणी नहीं कर मात्र खाना पूर्ति कर दी व ग्राम पंचायत ने भी बिना पूर्ण जॉच पडताल किये ही अपीलान्ट का नाम सूरज के बजाय पूरण से ही नामान्तरण स्वीकृत कर दिया, इतना ही नही अपीलांट नाबालिग होने से मृतक माता शोभाबाई को संरक्षक अंकित कर दिया, कोई भी मृतक किसी का केसे संरक्षक हो सकता है, इस प्रकार की प्रविष्ठि विधि प्रावधानो के विपरित होकर निरस्त होने योग्य है ।

यह कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत शादी ने उक्त नामान्तरण को अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर, विरासत के आधार पर नामान्तरण निर्णित किये जाने के पूर्व वारिसान को सुना जाकर या पूर्ण जॉच पडताल कि जाकर ही नामान्तरण स्वीकृत करना चाहिए था जो न किये जाने से अपीलान्ट का नाम ही गलत दर्ज हो गया जिससे नामान्तरण निर्णित करने का आदेश, एक अवैध आदेश / निर्णय की परिभाषा में आता हैं एवं निरस्त योग्य है ।

यह कि अपिलान्ट का नाम गलत प्रस्तावित एवं स्वीकृत हो जाने से अपीलान्ट अपने कृषक होने के लाभो से वंचित हो रहा है एवं ग्राम पंचायत ने विधिक एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को सुने बिना, एक तथाकथित अवेध, निष्प्रभावी एवं शून्य प्रस्तावित एन्ट्री के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर उक्त नामान्तरण निर्णय करने में भूल की हैं जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है ।

यह कि दिनांक 05/12/2024 को अपीलान्ट उक्त भूमि के आधार पर अपने आप को कृषक मान प्रधानमंत्री कृषक साथी योजना का पंजीकरण कराने गया तो नाम में अन्तर आने से योजना का लाभ का आवेदन करने से वंचित रह गया जिससे जानकारी आने पर हल्का पटवारी जी से उक्त नामान्तरण की प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रति दिनांक 12/12/2024 को प्राप्त हुई जिससे हल्का पटवारी द्वारा नाम गलत प्रस्तावित करने एवं अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा गलत नाम के आधार पर ही नामान्तरण निर्णित करने में भूल करने की जानकारी प्राप्त हुई हैं जिससे उक्त नामान्तरण निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का सही नाम सूरज पिता भैरूलाल के आधार पर नामान्तरण नये सिरे से किये जाने की प्रार्थना के साथ यह अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि नामान्तरण अपील सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

यह कि नामान्तरण संख्या 1004 ग्राम चंदाखेडी का निर्णय दिनांक 05/9/2022 को होकर इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05/12/2024 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने से हुई है, एवं नामान्तरण की नकल प्राप्त होते ही नामान्तरण अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं साथ ही उक्त नामान्तरण निर्णय अवैध एवं निष्प्रभावी निर्णय की परिभाषा में आने से अवैध नामान्तरण को निरस्त किये जाने की कोई अवधि नहीं होना न्यायिक दृष्टांतो में वर्णित है । फिर भी कानूनी पैचीदगी से बचने के लिए दिनांक 5/9/2022 से दिनांक 05/12/2024 तक की अवधि को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पृथक से प्रस्तुत है । अन्य कारण वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे ।

यह कि अपील नामान्तरण अपीलार्थी की ओर से पूर्ण न्याय शुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नकलो के प्रस्तुत है ।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना हैं कि ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी तहसील बेगूं के नामान्तरण संख्या 1004 पर शोभाबाई पत्नी भैरूलाल धाकड की मृत्यु हो जाने से दिये गये अवैध एवं विधि विपरित निर्णय को निरस्त फरमा, सही विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

अपील अपीलान्ट की न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया, न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित आये तथा उन्होने न्यायालय में अपील अपीलांन्ट की स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए न्यायालय आदेशिका पर अंकित किया है। अपील पत्र में भूमिधारी रेस्पोडेन्टस संख्या 2 पक्षकार है जिनके द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। हालॉकि इस अपील पत्र में अधिनस्थ न्यायालय जिनके द्वारा ही विरासत का नामान्तरण को निर्णित किया है उक्त सरपंच ग्राम पचायत शादी को पक्षकार नही बनाया गया हैं। अपील पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का संलग्न मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें नामान्तरण स्वीकृति दिनांक 05.09.2022 से दिनांक 05.12.2024 तक की अवधि को कंडोन किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि नकल अपीलान्ट को 2024 मे प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरण सम्बन्धी जानकारी होने का कथन सही प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकृत किया जाता है।

अपील पत्र पर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार निवेदन की है, बहस के दौरान हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंज यथा जमाबंदी ,नकल नामान्तरण एवं आधार कार्ड की प्रति, सेकण्डरी स्कूल की मार्कशीट एवं निर्वाचन आयोग का कार्ड आदि का अवलोकन किया गया, दस्तोवज में अपीलान्ट का नाम सूरज पुत्र भैरूलाल दर्ज होना पाया गया है, जबकि नामान्तरण नाबालिग पूरण के नाम से खोला गया है, जिसे सही दर्ज कराने में रेस्पोडेन्टस को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अपील अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 1004 ग्राम चन्दा खेडी ग्ग्रम पंचायत शादी द्वारा निर्णित दिनांक 05.09.2022 को निरस्त किया जाता है। अपील पत्र तहसीलदार बेगूॅ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार शोभाबाई पत्नि भेरूलाल के विधिक वारिसान अपीलान्ट सूरज माता शोभाबाई पुत्र भैरूलाल धाकड एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम विधिवत जॉच करते हुए पुनः विरासत का नामान्तरण खोला जाकर निर्णित किया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूॅ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅ
जिला चितौडगढ.(राज0)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/970 दिनांक :– 29/12/25

अपील संख्या 1/2025 व अनवान सूरज बनाम रवि वगै अपील नामान्तरण में न्यायालय के आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूॅ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅ
जिला चितौडगढ.(राज0)